

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

क्रमांक

प्रति/पुनः

3-7-23...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाह्य-कार्य हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक... 4-7-23  
को पेश हो।

रीडर

24/07/23

उभयपक्ष के अभि. उप. वाले बिरह वाली वकील आयुक्त  
दिनांक 4/9/23 को पेश हो।

05/9/23...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब V.C.  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाह्य-कार्य हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक... 8-11-23  
को पेश हो।

रीडर

8/11/23...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाह्य-कार्य हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक... 9/10/24  
को पेश हो।

रीडर

31/01/24

उभयपक्ष के अभि. उप. वाले बिरह वाली वकील आयुक्त  
दिनांक 13/03/24 को पेश हो।

13/3/24...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाह्य-कार्य हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक... 3-4-24  
को पेश हो।

रीडर

34/24

उभयपक्ष के अभि. उप. वाले बिरह वाली वकील के गवाह उपर नही  
वकील प्रति है पूर्व में कई सारे दिने ला चुके है। वकील  
वकील ने आपत्ति जाहिर की। तथा कोर्ट पर भवसर दिने  
जाने का निर्देश किया। अब वकील प्रति के न्यायिक  
में वकील वकील की सहमति से एक शक्ति भवसर किया  
जाता है। पत्रावली बिरह वाली दिनांक 15-5-24 को  
पेश हो।

15/5/24

वकील प्रति उप. वाले बिरह वाली का बिभार देना बताया है। पत्रावली  
वाले बिरह वाली दिनांक 18/6/24 को पेश हो।

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास ( अलवर )**

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
23/7/24	<p>18-6-24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब                      अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।                      उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक... 23-7-24                      को पेश हो।</p> <p>वकील वादी उप. नदी। वकील प्रति. उप. नदी।                      वादी दिनांक 20/8/24 को पेश हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी                      किशनगढ़बास (खैरखल-तिजारा)</p>
20/8/24	<p>20/8/24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब                      अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।                      उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक... 29-10-24                      को पेश हो।</p>
29-10-24	<p>वकील वादी। प्रतिवादी उप. प्रतिवादी के साक्ष्य उपपत्तियों के                      चर्चे में देर लगे जा रहे हैं। लेकिन प्रतिवादी द्वारा आगे                      पेश नहीं किया। वकील वादी की सहमति अंतिम से अंतिम                      मौका दिया जा रहा है। साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य                      प्रतिवादी खंड कर दी जावेगी। आयन्दा दिनांक 14-12-24                      को पेश हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी                      किशनगढ़बास (खैरखल-तिजारा)</p>
17/12/24	<p>17/12/24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब                      अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।                      उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक... 25/02/25                      को पेश हो।</p>
25-2-25	<p>वकील प्रकाशान उप. प्रतिवादी साक्ष्य उपपत्तियों को                      मौका देकर भी मौका चाहे। वकील प्रति. कोर्ट पर                      प्रतिवादी का निवेदन किया। अतः कोर्ट पर                      प्रतिवादी को साक्ष्य देवें अंतिम मौका दिया जा रहा है। साक्ष्य                      पेश करे अन्यथा साक्ष्य खंड कर दी जावेगी। दिनांक                      19-3-25 को पेश हो।</p>
19-3-25	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज किटिंग की जाती                      अथवा वकील को उपपत्तियों प्रतिवादी वकील उप.                      न्यायालय का समय समाप्त निर्धारित अतः वकील                      वादी अलग घंटी अलग पेशी में खासिया किया                      जाता है। पत्रावली फावेल सुनार होकर समाप्त                      लेख भेजा है।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी                      किशनगढ़बास (खैरखल-तिजारा)</p>